आदेश

प्रस्तुत अभिलेख का संधारण अभिता देवी के आवेदन के आलोक में किया गया है। प्राप्त आपत्ति आवेदन के आलोक में संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की गई।।

यह मामला दाखिल-खारिज से संबंधित है।

निबंधित केवाला संख्या 4449 द्वारा पवित्री देवी पति-स्व० शिवकुमार प्रसाद गुप्ता द्वारा मौजा कुंडा के खाता नं० 01 प्लाट नं० 803 रकबा 0.03 डि० भूमि की बिक्री विपिन कुमार एवं नितिश कुमार को की गई है। उक्त निबंधित विक्रय पत्र N.G.D.R.S पोर्टल से प्राप्त है। उक्त दाखिल-खारिज के विरुद्ध विक्रेता की पुत्री अभिता देवी द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया है। आपत्ति आवेदन में उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि मेरे पिताजी की जमीन इनसे और इनके बहन से बिना विचार किए इनकी माँ के द्वारा जमीन की बिक्री की गई है, जो गलत है।

विक्रेता न्यायालय में उपस्थित हुए, और उनके द्वारा बतलाया गया कि मेरी 6 पुत्री है। इनके कोई पुत्र नहीं है। यह पैतृक सम्पत्ति है, जो इनके पति को प्राप्त है।

अन्य हिस्सेदारों का सहमति पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

विक्रेता द्वारा जवाब भी दाखिल नहीं किया गया।

आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया कि विक्रेता जो मेरी माँ है के द्वारा हमारी एक बहन के पुत्र को भूमि विक्री की गई है जबकि उक्त भूमि में हमलोगों के एक बहन का भी हिस्सा बनता है, लेकिन हमलोगों के हिस्से को भी भूमि में द्वारा एक बहन के पुत्र को लिख दिया गया है जो गलत है। निबंधित केवाला के साथ संलग्न वंशावली भी गलत है, उक्त वंशावली में जमाबंदी धारी के सभी वारिसान का नाम अंकित नहीं है।

विक्रेता द्वारा कोई बंटवारा नामा प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही अन्य हिस्सेदारों का सहमति नामा ही संलग्न किया गया है। MAINTANCE OF LAND RECORD ACT 1973 के तहत सभी हिस्सेदारों की सहमति आवश्यक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया जाता है।

संसूचित पक्ष इस मामले को उचित न्यायालय में ले जाने हेतु स्वतंत्र हैं।

30.4.25
अंचल अधिकारी
कुंडा

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.06.02 17:38:09 +05:30
Location: 192.168.63.108

Scanned with OKEN Scanner